

राजस्व पर्षद

बिहार, पटना

संचिका सं०- 02/परी०-01(राज०)-04/2022-741

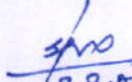
पटना, दिनांक:-23rd जून 2022

कार्यालय आदेश

राजस्व पर्षद के द्वारा सभी राजपत्रित/अराजपत्रित पदाधिकारियों एवं कर्मियों के लिए आयोजित विभागीय परीक्षा के आयोजन के संबंध में निदेशानुसार निम्नलिखित निदेश दिये जाते हैं :-

1. सभी परीक्षार्थियों को परीक्षा कक्ष में प्रवेश के पूर्व अपना प्रवेश पत्र दिखलाना अनिवार्य होगा। प्रथम पाली की परीक्षा प्रातः 10.30 a.m से 1.00 p.m अपराह्न तक तथा द्वितीय पाली की परीक्षा 2.30 p.m अपराह्न से 5.00 p.m अपराह्न तक आयोजित की जाएगी। सभी परीक्षार्थी परीक्षा के निर्धारित समय से कम से कम एक घण्टा पूर्व परीक्षा स्थल पर पहुँच जायेंगे ताकि सभी आवश्यक कार्रवाई पूर्ण की जा सके। परीक्षा प्रारम्भ किए जाने हेतु निर्धारित समय के पश्चात् किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
2. सभी परीक्षार्थियों के द्वारा परीक्षा कक्ष के अन्दर उनके द्वारा लाई जा रहे सभी पुस्तिकाओं में उनके प्रवेश पत्र पर अंकित नाम एवं रोल नम्बर, पुस्तिकाओं के प्रथम पृष्ठ पर इंक पेन से लिख कर लाई जाएगी। यदि कोई परीक्षार्थी अपने साथ लाई गयी पुस्तिकाओं में अपना नाम एवं रोल नम्बर इंक पेन से अंकित नहीं करते हैं तो उन्हें किसी भी परिस्थिति में परीक्षा कक्ष में उक्त पुस्तिका को ले जाने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
3. किसी भी परीक्षार्थी द्वारा अपनी पुस्तिकाओं एवं अन्य अनुमोदित सामग्री के अतिरिक्त कोई भी अन्य सामान यथा मोबाईल, Bluetooth, wireless तथा अन्य कोई भी gadget परीक्षा कक्ष में नहीं लाया जायेगा। यदि किसी परीक्षार्थी के पास पूर्व अनुमोदित सामग्री के अतिरिक्त कोई भी अन्य किसी प्रकार की प्रतिबंधित सामग्री पाई जाती है तो उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जायेगी।
4. किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा अवधि के दौरान परीक्षा कक्ष से बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जायेगी। मात्र किसी Emergency अथवा accident की परिस्थिति में ही उन्हें बाहर जाने की अनुमति दी जा सकेगी परन्तु उन्हें पुनः परीक्षा कक्ष में प्रवेश करने की अनुमति इसके पश्चात् नहीं दी जाएगी।
5. सभी विभागीय परीक्षाओं के दौरान प्रथम पाली में सहायक, श्री अर्जुन कुमार परीक्षा की पूर्ण अवधि में स्वयं परीक्षा कक्ष में उपस्थित रह कर सभी परीक्षा सम्बंधित कार्यों का पर्यवेक्षण करेंगे एवं द्वितीय पाली में प्रशाखा पदाधिकारी, श्री उमेश कुमार परीक्षा की पूर्ण अवधि में उपस्थित रह कर सभी निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराएंगे।

6. विभागीय परीक्षा हेतु प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों/कर्मियों के अतिरिक्त कोई भी अन्य बाहरी व्यक्ति यदि परीक्षा अवधि में परीक्षा कक्ष में बिना सक्षम अनुमति के प्रवेश करेंगे तो उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
7. परीक्षा कक्ष को परीक्षा प्रारंभ होने से दो घंटे पूर्व साफ-सफाई एवं आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु खोल दिया जायेगा एवं परीक्षा की समाप्ति के पश्चात् परीक्षा कक्ष को आधे घंटे के अन्दर बंद कर दिया जायेगा।
8. उपर्युक्त निदेश में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।
9. उपर्युक्त सभी निदेश तत्कालिक रूप से अगले आदेश तक प्रभावी रहेंगे।


23.06.22
विशेष कार्य पदाधिकारी
राजस्व पर्षद, बिहार, पटना।